कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क. /04 /अ–82 / 2019–20 /6251 श्योपुर दिनांक 08.08.2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

(भू–अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर– श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम **पांचो** तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा **2.643** हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला –श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम **पांचो** प.ह.न **22** रा.नि. वृत **01** में उक्त परियोजना के लिये **2.643** हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है –

क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	1190/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	**हरिचरन, रामचरन, शिवचरन, केदार, रामस्वरूप उमाचरण, पुत्रगण रतनू प्रेमबाई पुत्री रतनू जाति जाटव पता नि.ग्राम हि. समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.31**
2	1194	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.096	**पवन कुमार पुत्र हरिचरनलाल चतुर्वेदी जाति ब्रा. पता निवासी वीरपुर हि. 0.564 भाग मृदुल कुमार पुत्र हरिचरन जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम हि. 0. 585 भाग राधेश्याम पुत्र रामचरण जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम हि. 1.150 भाग बालस्वरूप पुत्र रामचरन्न जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम हि. 1.150 भाग भू राजस्व 3.50**
3	1195	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.184	**पवन कुमार पुत्र हरिचरनलाल चतुर्वेदी जाति ब्रा. पता निवासी वीरपुर हि. 0.564 भाग मृदुल कुमार पुत्र हरिचरन जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम हि. 0. 585 भाग राधेश्याम पुत्र रामचरण जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम हि. 1.150 भाग बालस्वरूप पुत्र रामचरन्न जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम हि. 1.150 भाग भू राजस्व 3.50**

कलेक्टर
जिला श्योपुर (म. प्र.)

4	1196	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.226	पवन कुमार पुत्र हरिचरनलाल चतुर्वेदी जाति ब्रा. पता निवासी वीरपुर हि. 0.564 भाग मृदुल कुमार पुत्र हरिचरन जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम हि. 0.585 भाग राधेश्याम पुत्र रामचरण जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम हि. 1.150 भाग बालस्वरूप पुत्र रामचरन जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम हि. 1.150 भाग भू राजस्व 3.50
5	1197/ मि 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.227	मोतीलाल जीवनलाल पुत्र गुलाब भगवती विमला रूमाली पुत्रियां गुलाब मु. किन्ती वेवा गुलाब जाति चमार नि.ग्राम हि. 1/3 समान भाग भूमिस्वामी मु. कम्पूरी वेवा गनपति व राजू बा. बीरेन्द्र जीतेन्द्र नाबा. पुत्रगण गनपति सर. मां खुद व गीता अनीता सुनीता पुत्रियां गनपति जाति चमार पता नि. ग्राम हि. 1/3 समान भाग भूमि स्वामी रामहेत पुत्र ल्होई जाति चमार पता नि. ग्राम हि. 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.24
6	1197/ मि 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.027	रामहेत पुत्र नकटू जाति चमार नि. ग्राम सीखेडा भूमि स्वामी भूआ. 0.70
7	1200/1 /मि 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.387	छत्तू पुत्र सामलिया जाति जाटव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.53
8	1112/8 /मि 2/1211 /1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.527	नैनू पुत्र श्यामा व संतो कमला पुत्रियां श्यामा जाति चमार नि.ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भूआ. 3.16
9	1112/8 /मि3/ 1211/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.939	चिम्मन सामंता पुत्रगण पन्ना व त्रिवेणी शीला पुत्रियां पन्ना पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भूआ. 3.06
		योग		2.643	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

कलेक्टर
जिला श्योपुर (म. प्र.)

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे ।

विशेष– धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू – अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

स्थानः श्योपुर
तारीख – 08.08.2019

न्यायालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी जिला श्योपुर (म.प्र.)

(बसंत कुर्रे)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृ.प्र.क./04/अ–82/2019–20/6252 श्योपुर दिनांक 08.08.2019

प्रतिलिपि :–

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
3. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला श्योपुर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्यरेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार तहसील वीरपुर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील पुलिस स्टेशन के ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन /चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामिली प्रति भेजने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी श्योपुर की ओर कलेक्टर जिला श्योपुर (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत बेवसाईड पर अपलोड हेतु।

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)